न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/39/2021 दायर दिनांक 01.10.2021

उनवान

1. शंकरी पुत्री हांसु जाति जाट आयु वयस्क निवासी धर्मकाटे के पास, आरामशीन के सामने, चित्तौड़गढ रोड कपासन हालमुकाम पत्नी किशनलाल जाट निवासी मनोहरखेडी, तहसील भुपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. कैलाशी पुत्री हांसु जाति जाट आयु वयस्क निवासी धर्मकाटे के पास, आरामशीन के सामने, चित्तौड़गढ रोड कपासन हालमुकाम पत्नी लेहरी लाल निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. हांसु पुत्र सुरजमल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धर्मकाटे के पास, आरामशीन के सामने, चित्तौड़गढ रोड कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. उप पंजीयक तहसील कार्यालय कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 14.02.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बालारडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण की हक हिस्से की मौरूसी पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 556 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा संख्या 654 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है जो कि हाल जमाबन्दी संवंत 2074—2077 के खाता संख्या 182 पर प्रार्थीगण के पिता हांसू अप्रार्थी संख्या 1 के नाम शामलाती खाते से 7/10 हक हिस्से से दर्ज है। प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि ग्राम बालारडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण की हक हिस्से कब्जे की मौरूसी पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है। जिसके हाल खसरा संख्या 1547/1073 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टर प्रार्थीगण के पिता हांसु के नाम शामलाती खाते से 1/5 हक हिस्से से हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 के खाता संख्या 226 पर दर्ज है। प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि इसी प्रकार ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में भी प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 7184/3372 रकबा 0.05 हैक्टर है जो कि प्रार्थीगण के पिता हांसू अप्रार्थी संख्या [illegible] नाम शामलाती खाते से हाल जमाबन्दी संवंत 2074—2077 के खाता संख्या 992 पर 2/5 हक हिस्से से दर्ज है। प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी चालु संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पारिवारिक खानदान सजरा इस प्रकार है–

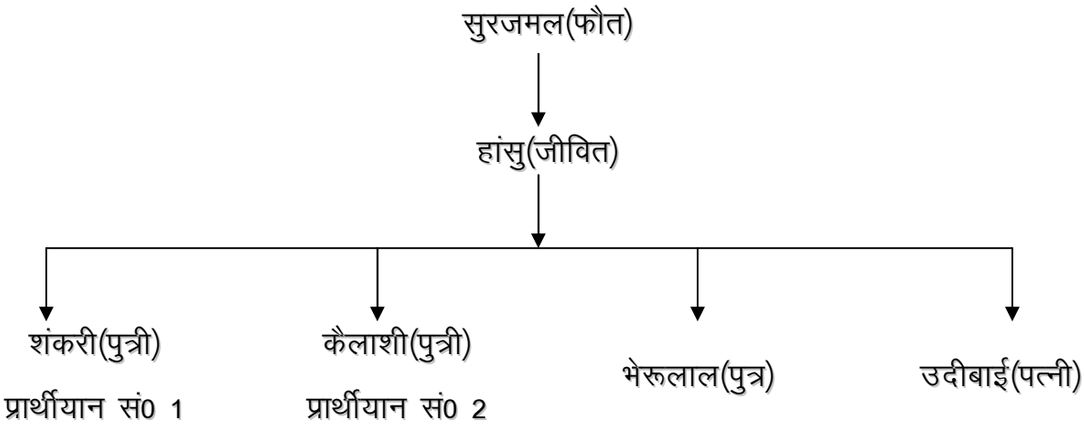

यह कि उपरोक्त वर्णित सर्जरा अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 हांसु के दो पुत्रियां शंकरी व कैलाशी (प्रार्थीगण) तथा पुत्र भेरूलाल होकर पत्नी उदी बाई है। इस प्रकार हांसु की जायदाद सम्पत्ति में पुत्रियों व पुत्र का बाई बर्थ टु राइट पैदा हो गया है। दोनो पुत्रियों प्रार्थीगण हांसु की जायन्दा जीवित पुत्रियां है। जिनका अपने पिता हांसु अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित जमीन जायदाद सम्पत्ति में उक्त वर्णित सर्जरा अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित हो गया है। प्रार्थीगण का 1/4–1/4 एवं प्रार्थीगण के भाई हांसु के पुत्र भेरूलाल का 1/4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 हांसु व उनकी पत्नी उदीबाई का 1/4 हक हिस्सा बनता है प्रार्थीगण अपने 1/4–1/4 हक हिस्से को अपने नाम खाते दर्ज कराने की अधिकारी है प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 हांसू को प्रार्थीगण को भाई भेरूलाल व उसकी पत्नी ने डरा धमका कर अपने दबाव प्रभाव में ले रखा है। जो प्रार्थीगण को अपने पिता से मिलने जुलने नहीं देता है आने जाने से भी रोक दिया है प्रार्थीगण की मां को भी अप्रार्थी संख्या 1 जो अपने पुत्र के सिखावे में है घर से बाहर निकाल दिया जो अभी प्रार्थीगण के पास है प्रार्थीगण को भी अपने पिता के घर आने जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व पुत्र भेरूलाल ने रोक दिया है प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात को विक्रय कर देना चाहते जबकि जीवन यापन करने का एक मात्र जरीया जमीन जायदाद ही है। प्रार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा निहित होने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने हिस्सा होने से व देने से मना कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार की घोषणा का दावा पेश करना पडा।

यह कि प्रार्थीगण को 1/4–1/4 हक हिस्से की खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है एवं इसी घोषणा अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज को दुरूस्त करा प्रार्थीगण को 1/4–1/4 हक हिस्से की खातेदारी तथा शेष हिस्सा 1/2 अप्रार्थी संख्या 1 हांसू के नाम दर्ज किया जाने की खातेदारी अधिकार की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी फरमाई जाना आवश्यक है अन्यथा अप्रार्थी संख्या 1 जो अपने पुत्र के सिखावे बहकावें में है। जो वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय कर प्रार्थीगण को अपने बाई बर्थ टु राईट हक हिस्से से वंचित कर देगा जिससे और अधिक मुकदमेंबाजी बढेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र भेरूलाल के डर दबाव प्रभाव व सिखावे में जिसने प्रार्थीगण व अपनी माता को घर से बाहर निकाल दिया और प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात को विक्रय कर देने पर उतारू है प्रार्थीगण की माता व पिता दोनो बुजुर्ग है लेकिन दबाव प्रभाव व सिखावे में होने से अप्रार्थी संख्या 1 भी अपने नाम दर्ज वादगत आराजीयात को विक्रय कर देना चाहते है जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से से ही वंचित हो जावेगी, प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने धमकी दी कि में 1 ईंच जमीन भी मेरे नाम पर नहीं रखुगा सम्पूर्ण विक्रय कर दुंगा सम्पूर्ण हक हिस्सा विक्रय कर देने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्से से वंचित हो जायेगी और अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश फरमाया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हक हिस्से को दिगर अन्य व्यक्ति को बह बख्क्षीस रहन विक्रय वसीयत रिलीजडीड इत्यादि नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 2, 3 को रेकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नही होगा और पाबन्द नहीं फरमाने पर प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी भरपायी भविष्य में किसी किमत पर मुल्यों

में पुरा नहीं किया जा सकेगा एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.01.2021 को हिस्सा होने से मना कर अपने नाम दर्ज भूमि को दिगर अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देने की धमकी दी इस कारण वाद हेतुक कारण दिनांक 05.01.2021 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 विक्रय रहन बह बख्क्षीस दान वसीयत रिलीजडीड इत्यादि दिगर अन्य किसी को भी नहीं करे अप्रार्थी संख्या 2, 3 वादग्रस्त आराजीयात का किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे वादग्रस्त आराजीयात का हस्तान्तरण नहीं करे रेकार्ड की यथास्थिति तामूल फैसला वाद निस्तारण तक बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 हांसू ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

1. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 स्वीकार नहीं है वाद का शीघ्र ही निस्तारण होकर खारिज होने योग्य है।

2. (अ) प्रार्थना पत्र की उक्त कॉलम में वर्णित आराजीयात अवश्य स्थित है किन्तु वह प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की नहीं है और न ही पैतृक मौरूसी है। उक्त आराजीयात का 3/10 हिस्सा अप्रार्थी उत्तरदाता ने श्री राम लाल पिता सवाईराम जाट, हगामी पत्नि सवाईराम जाट निवासी बालारडा से चालीस हजार रूप्या में दिनांक 31/3/2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा 1/5 हिस्सा श्रीमती झमकू पत्नि हजारी जाट निवासी बालारडा से 20000/– रूपया में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.07.2015 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। सिबुत में विक्रय पत्र की नकले पेश है। इस प्रकार उक्त आराजीयात अप्रार्थी नं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण को कोई स्वतत्व, अधिकार व कब्जा नहीं है प्रार्थी नं0 1 शंकरी अपने ससुराल ग्राम मनोहर खेडी तहसील भूपालसागर रहती है तथा प्रार्थी नं0 2 कैलाशी भी अपने ससुराल लदाना तहसील मावली रहती है। उनका वादगत आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा उनकी शादी अप्रार्थी ने बचपन में ही करा दी थी तब से वे अपने ससुराल आराम से रह रही है। अप्रार्थी की स्वअर्जित जायदाद में कानूनन पुत्र, पुत्रीयों का कोई हक नहीं होता है।

   (ब) उक्त कॉलम में वर्णित आराजी भी पैतृक नहीं है उसमें भी प्रार्थीगण का हक हिस्सा कब्जा नहीं है। उक्त आराजी में स्वयं अप्रार्थी का भी 0.008 हिस्सा ही है अप्रार्थी के दो पुत्रियां प्रार्थीगण एक पुत्र भेरूलाल व पत्नी है। उक्त आराजी में स्वयं अप्रार्थी का हिस्सा भी नगन्य होने से प्रार्थीगण का हिस्सा नहीं हो सकता।

   (स) उक्त कॉलम में वर्णित आराजी भी पैतृक नहीं है उसमें भी प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। उक्त आराजी में अप्रार्थी का 0.02 हिस्सा ही है स्वयं अप्रार्थी नं0 1 का हिस्सा भी नगन्य है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थी नं0 1 उसकी पत्नि व पुत्र में विभाजन नहीं हो सकता । इन सभी आराजीयात को मिलाने पर भी प्रत्येक प्रार्थीगण के 0.01 आरी भी हिस्से में नहीं आती है इसलिये यह प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी पिता को दूसरे भाई बन्धों के सिखाए में आकर परेशान करने हेतु तुच्छ, निरर्थक, मूल्यहीन पेश किया है।

3. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 के सजरे पर विवाद नहीं।

4. प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं। कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी नं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है प्रार्थीगण का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण अपने अपने ससुराल करीब [illegible] वर्ष से रह रही है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी पर किसी का दबाव प्रभाव नहीं है वे स्व[illegible] है [illegible] भैरू लाल व उसकी पत्नी का कोई दबाव प्रभाव नहीं है। प्रार्थीगण भी कभी कभी [illegible] अपने पियर भाई माता पिता से मिलने आती जाती है किन्तु प्रार्थीगण भाई बन्धों के सिखाए में आकर मनमुटाव रखने लग गई है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी व उसकी पत्नि से मिलने आ सकते है कोई रोक टोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। पिता का वही स्नेह आज भी प्रार्थीगण के प्रति है। पिता वृद्ध व शारीरिक रूप से कमजोर है। प्रार्थीगण का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने पिता को देखरेख करे, सेवा करें, किन्तु प्रार्थीगण तो और यह वाद पेश कर उन्हें परेशान कर रही है। रेवेन्यु वाद में पारिवारिक घर धन्धें का विवेचन करना उचित भी नहीं है। प्रार्थीगण की माता अप्रार्थी के साथ रहती है जब उसकी ईच्छा हो पुत्रियों से मिल सकती है कोई रोक टोक नहीं है। अप्रार्थी कोई सम्पत्ति नही बेचना चाहता है उसके भरण पोषण का साधन भी यही जमीन है प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

5. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की दाद पाने का अधिकारिणी नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र की कॉलम नं0 6 गलत होने से स्वीकार नहीं। अप्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात विक्रय नहीं करना चाहता प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 गलत होने से स्वीकार नहीं । अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से वंचित हो जायेगा जिससे उसकी वृद्धावस्था में जीविकोपार्जन मुश्किल होगा। प्रार्थीगण अपने ससुराल मे बैठे बिठाए तमाशा खडा कर रही है।
8. प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 8 गलत होने से स्वीकार नहीं। अप्रार्थी ने आराजीयात विक्रय करने की धमकी नहीं दी प्रार्थीगण को वाद हेतु पैदा नहीं हुई है।
9. कि माया, रूद्रांश खातेदारी आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया है उनके अभाव में वाद पोषणीय नहीं है।
10. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 10 पर विवाद नहीं।
11. प्रार्थना पत्र की कॉलम 11 स्वीकार नहीं। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी और जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी।
12. प्रार्थना पत्र की कॉलम नं0 12 पर विवाद नहीं।
13. प्रार्थना पत्र की कॉलम नं0 13 में वर्णित शपथ पत्र असत्य होने से स्वीकार नहीं। अप्रार्थी नं0 1 जवाब प्रार्थना पत्र की पुष्टि में अपना शपथ पत्र पेश करता है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अन्तर्गत धारा 35ए जा0दी0 प्रार्थीगण से अप्रार्थी को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्व में दिनांक 16.01.2024 को उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामलाल राव एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 श्री दुर्गाशंकर तिवारी हाजिर। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया की विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि है। तथा अपने पिता हांसु अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन जायदाद सम्पत्ति में उक्त प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजीयात बेचान करने पर आमादा है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया की विपक्षी संख्या 1 विवादित आराजीयात के दर्ज अभिलिखित खातेदार है एवं विवादित आराजीयात कॉलम संख्या 2 (अ) विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित आय से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर खरीदशुदा है व शेष आराजीयात में भी विपक्षी संख्या 1 का हिस्सा नगण्य होने से प्रार्थीगण का हिस्सा नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 को खारिज किये जाने की इस्तदुआ के साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस समाप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली को निर्णय पर रखा गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का विवेचन आवश्यक है।

__प्रथम दृष्टया मामला__ :— प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के हक हिस्से की मौरूसी पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है। परन्तु आराजीयात मौरूसी होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थना की कॉलम संख्या 2 (अ) में वर्णित आराजीयात मेरे द्वारा खरीदशुदा होकर स्वअर्जित आराजीयात है। उक्त के संबंध में दस्तावेज यथा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.07.2015 व 31.03.2016 प्रस्तुत किया है। विवादित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक नहीं होना तथ्य स्पष्ट है। ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

__सुविधा का संतुलन__ :— प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में संयुक्त कब्जे काश्त के संबंध में कही भी अंकन नही किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात स्वअर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी पर किसी का कोई दवाब व प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी कोई सम्पत्ति नहीं बेचना चाहता है, उसके भरण पोषण का साधन भी यही जमीन है। प्रार्थीगण द्वारा भी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त हो। इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न ही इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई अंकन किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 आराजीयात का अभिलिखित खातेदार है ऐसी स्थिति में विधि के स्थापित सिद्धांत से अप्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा जाहिर होता है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है

__अपूरणीय क्षति__ :— जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी भरपाई भविष्य में किसी किमत पर मुल्यों में पुरा नही किया जा सकेगा। एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से वंचित हो जाएगा जिससे उसकी वृद्धावस्था में जीविकोपार्जन मुश्किल होगा। उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वृद्ध है उसके जीविकोपार्जन का साधन प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात है जो उसकी स्वअर्जित व कब्जे काश्त की है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित कराये जाने में असफल रहे है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 71/2021 अनवानी शंकरी बनाम हांसु के साथ हम किता रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय आज दिनांक 14.02.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन